न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 88/2019 (**RCMS : 2019/00158**) अनवान 1.खण्डा सिंह 2 महेन्द्र सिंह 3. औंकार सिंह पुत्रगण ज्वाला सिंह जाति रायसिख निवासी सलेमपुरा तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. उगर सिंह पुत्र बदन सिह जाति जटसिख निवासी अबोहरिया तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर 2 जगसीर सिंह 3 परमजीत सिह पुत्रगण उगर सिंह जाति जटसिख निवासी अबोहरिया तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर 4. उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

23.09.2019

प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित है। मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के न्यायालय में लंबित प्रकरण पुर्नवास/2019/715 दिनांक 20.06.2019 कस्टोडियन कृषि भूमि चक 8 बीजीएस के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 11 ता 25 कुल 3.795 हैक्टेयर के नियमन में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर प्रकरण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। चूंकि अब तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)

जिला कलैक्टर

श्रीगंगानगर